प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 10/2021)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 के प्रावधानों के अनुसार कंटेंट टेंपलेट स्क्रबिंग फंक्शनिलिटी के कार्यान्वयन के अस्थायी निलंबन पर प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2021 – अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) जनसाधारण की असुविधा का प्रमुख स्रोत हैं और ये व्यक्ति की निजता का भी अतिक्रमण करते हैं। यूसीसी की समस्या से निपटने के लिए भादूविप्रा ने 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम ("टीसीसीसीपीआर, 2018"), 2018 जारी किया था, जिसमें यूसीसी पर अंकुश लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क तय किया गया है। विनियम पूर्णतया 28.02.2019 से लागू हुए। विनियम में सैंडर्स, टेलीमार्केटर्स, हेडर्स, कंटेंट टेंपलेट्स, सहमति टेंपलेट्स के पंजीकरण, फाइन–ग्रेन्ड सब्सक्राइबर वरीयता के पंजीकरण आदि के लिए प्रावधान किया गया है।

बाद में, टीसीसीसीपीआर, 2018 के तहत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को 20.01.2020 को एक निदेश जारी करके संदेशों के सेंडर्स यथा प्रिंसिपल इंटाइटीज (पीई) को शामिल करने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए कहा गया था। टीएसपी सभी पीई को शामिल करने हेतु उन्हें सूचित करने के लिए सभी प्रमुख समाचार–पत्रों में समय–समय पर नए विनियामक फ्रेमवर्क की अपेक्षाओं को प्रकाशित करते हैं। टीएसपी टीसीसीसीपीआर, 2018 के कंटेंट टेंपलेट स्क्रबिंग और अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन के बारे में टेलीमार्केटर्स और प्रिंसिपल इंटाइटीज को भी समय–समय पर सूचित करते रहते हैं।

यह देखने में आया है कि कुछ प्रिंसिपल इंटाइटीज ने दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर, 2018), 2018 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। परिणामस्वरूप, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एसएसएम की स्क्रबिंग के कार्यान्वयन के बाद, उनके एसएमएस विफल (ड्रॉप) हो रहे थे। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि टीएसपी द्वारा एसएमएस की स्क्रबिंग सात दिनों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी ताकि प्रिंसिपल इंटाइटीज एसएमएस को पंजीकृत करा सकें और उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना न करना पड़े।

टीएसपी से अनुरोध है कि वे इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने और एसएमएस टेंपलेट सहित समयबद्ध तरीके से उनके पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए अपने प्रिंसिपल इंटाइटीज को सूचित करें।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री असित कादयान, सलाहकार (सेवा की गुणवत्ता) से 011–23230404 या ईमेल advqos@trai.gov.in द्वारा संपर्क करें।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा